समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 08 September 2026

जहानाबाद मे एंलपीजी गैस आपूर्ति पर उच्चस्तरीय समीक्षा, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

RANJEET KUMAR

Published on 02 Apr 2026

[illegible] | [illegible], [illegible] | [illegible]

जिले में एलपीजी गैस आपूर्ति व्यवस्था को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रभारी सचिव सह वित्त विभाग (व्यय) की सचिव रचना पाटिल (आईएएस) ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

बैठक में गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान रचना पाटिल ने जिले में गैस के स्टॉक, आपूर्ति की स्थिति और उपभोक्ताओं को मिलने वाली सुविधाओं की विस्तृत जानकारी ली।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में जिलेवासियों को गैस की कमी या वितरण में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक के दौरान पाटिल ने गैस एजेंसी संचालकों से सीधा संवाद कर वर्तमान आपूर्ति व्यवस्था और उपभोक्ताओं तक समय पर गैस पहुंचाने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों और समस्याओं की भी समीक्षा की गई।

बैठक के बाद उन्होंने विभिन्न गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया और आम नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को जाना। इसके अलावा अनुमंडल कार्यालय में स्थापित नियंत्रण कक्ष का भी जायजा लिया गया।

रचना पाटिल ने शिकायत रजिस्टर की जांच करते हुए कुछ उपभोक्ताओं से फोन पर बातचीत कर उनकी समस्याएं समझीं और तत्काल समाधान के निर्देश दिए।

उन्होंने बताया कि बिहार सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह गंभीर है और आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। साथ ही निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन प्रेस के माध्यम से यह जानकारी दी जाए कि जिले में गैस आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।

इस बैठक में जिलाधिकारी अलंकृता पांडे, उप विकास आयुक्त डॉ. प्रीति, अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनीष चंद्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/RANJEET KUMAR, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.